

UGC NET Paper 3 June 27, 2010 Shift 1 Law Question Paper

Signature and Name of Invigilator

1. (Signature) _____
(Name) _____
2. (Signature) _____
(Name) _____

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

Roll No.

(In words)

J	5	8	1	0
---	---	---	---	---

Test Booklet No.

Time : 2 1/2 hours]

PAPER-III
LAW

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : 32

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answer to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
 - To have access to the Question Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.**
- Use of any calculator or log table etc., is prohibited.**

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए ।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुए रिक्त स्थान पर ही लिखिये ।
इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है ।
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी । पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
 - प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी कागज की सील को फाड़ लें । खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें ।
 - कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चेक कर लें कि ये पूरे हैं । दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें । इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे । उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा ।**
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है ।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें ।
- केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें ।**
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है ।**

LAW

विधि

PAPER – III

प्रश्नपत्र – III

Note : This paper is of **two hundred (200)** marks containing **four (4)** sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र **दो सौ (200)** अंकों का है एवं इसमें **चार (4)** खंड हैं । अभ्यर्थियों को इनमें समाहित प्रश्नों के उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है ।

SECTION – I

खंड – I

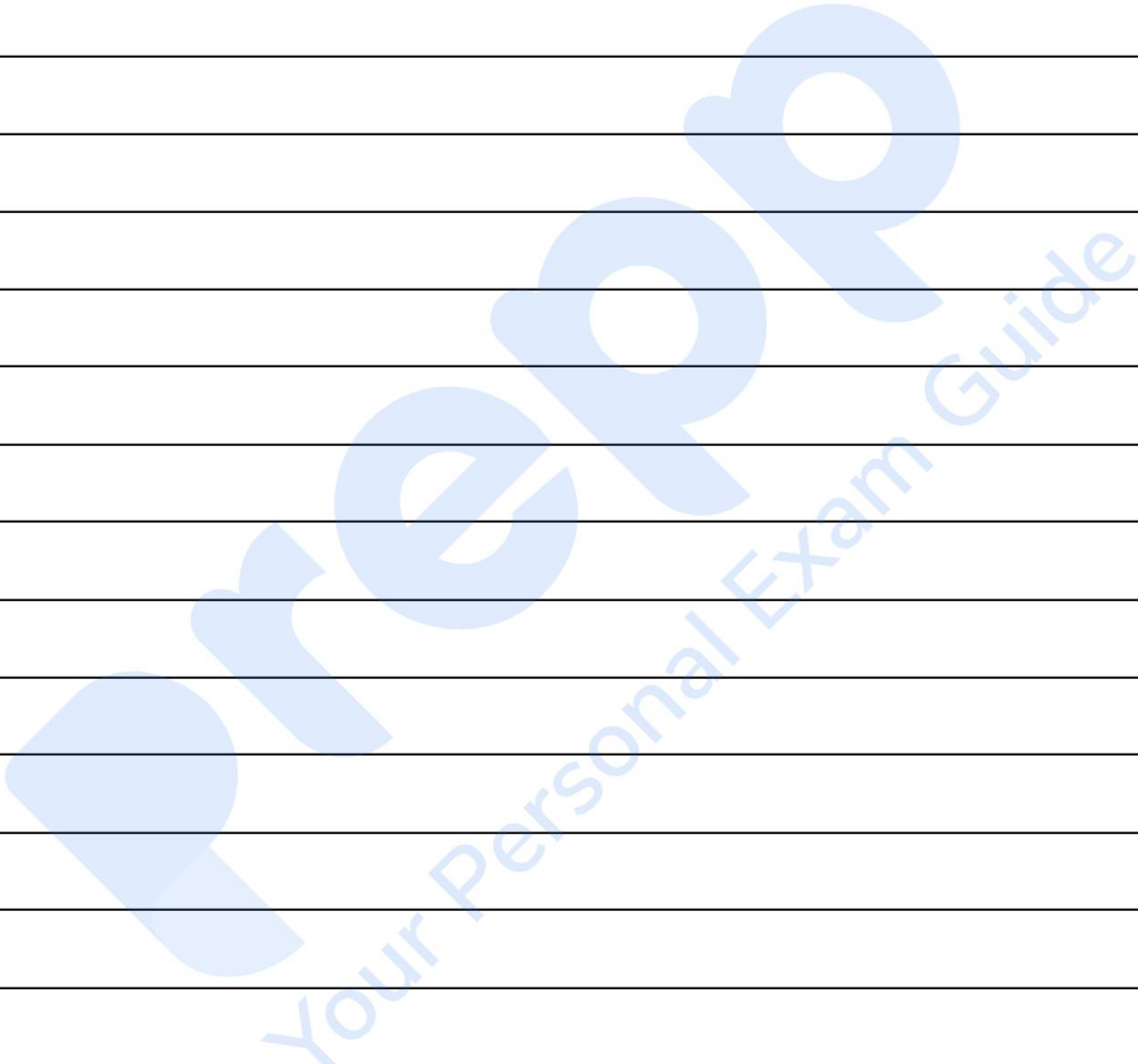
Note : This section consists of **two** essay type questions of **twenty (20)** marks each, to be answered in about **five hundred (500)** words each. **(2 × 20 = 40 marks)**

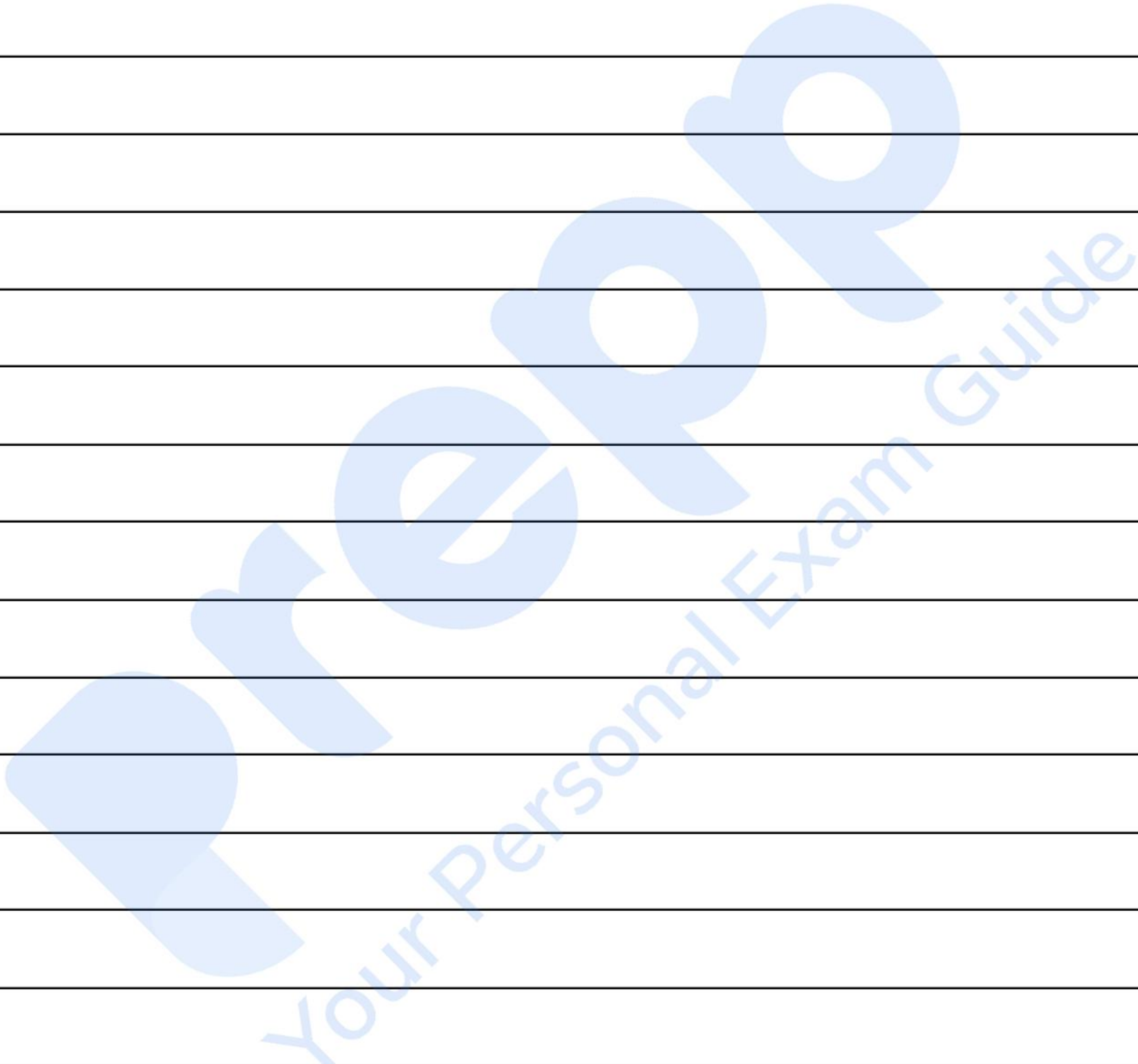
नोट : इस खंड में **बीस-बीस** अंकों के **दो** निबन्धात्मक प्रश्न हैं । प्रत्येक का उत्तर लगभग **पाँच सौ (500)** शब्दों में अपेक्षित है । **(2 × 20 = 40 अंक)**

1. Role of Lok Adalat in justice delivery system.
न्याय परिदान व्यवस्था में लोक अदालत की भूमिका ।

OR / अथवा

Women Empowerment.
महिला सशक्तिकरण





2. Secularism is the foundation of democracy.
धर्मनिरपेक्षतावाद प्रजातन्त्र का आधार है ।

OR / अथवा

Hearing is one of the basic ingredient of principle of natural justice.
नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का एक मूलभूत अवयव पेशी या सुनवाई है ।

OR / अथवा

Kelson's pure theory of law and its limitations.
केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धान्त और उसकी परिसीमाएँ ।

OR / अथवा

Protection against ex-post facto law.
कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण ।

OR / अथवा

Legal status of precautionary principle in India.
भारत में एहतियाती (या पूर्वोपाय) सिद्धान्त का कानूनी दर्जा ।

OR / अथवा

Effectiveness of sanctions of International Law.
अंतर्राष्ट्रीय विधि की शास्ति की प्रभावकारिता ।

OR / अथवा

Inter country adoption.
अंतः-देशी दत्तक ग्रहण ।

OR / अथवा

Role of National Human Rights Commission in India.
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका ।

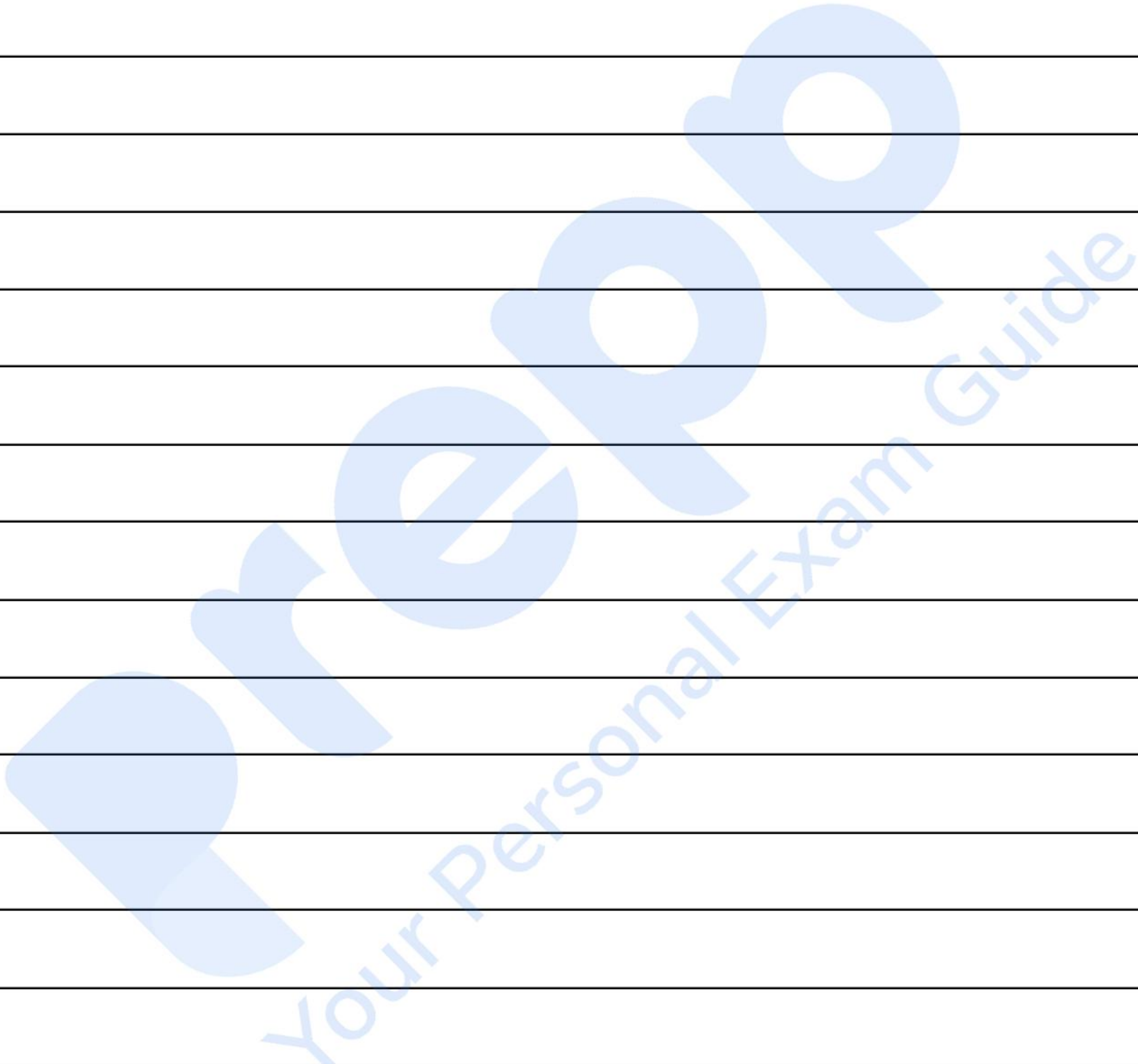
OR / अथवा

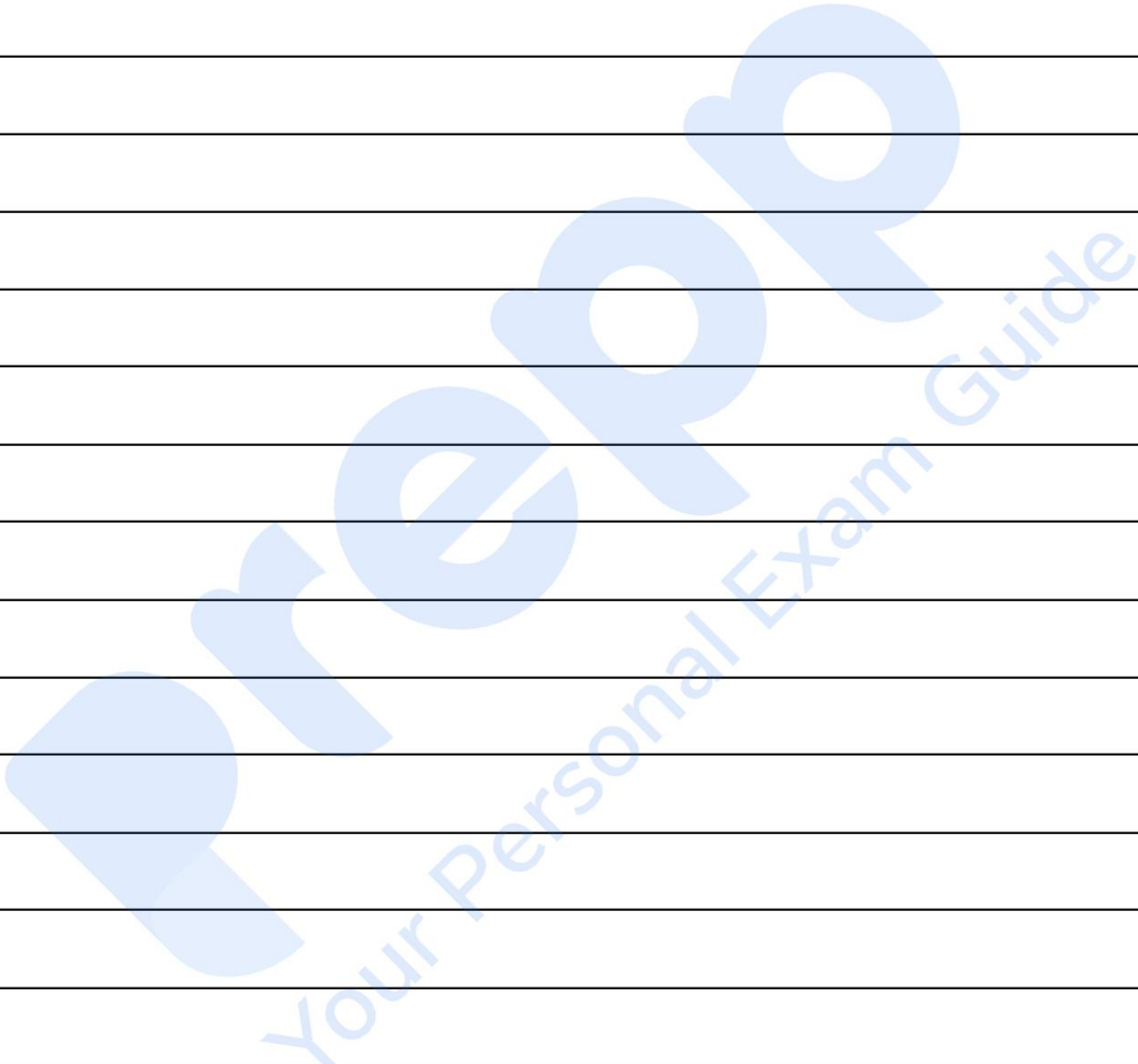
Implementation of the Consumer Protection Act : Problems and Challenges.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन : समस्याएँ और चुनौतियाँ ।

OR / अथवा

Doctrine of Indoor Management.
आंतरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त ।

Handwriting practice area with horizontal lines and a diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".





SECTION – II

खंड – II

Note : This section contains **three (3)** questions from each of the electives/specializations. The candidate has to choose only one elective/specialization and answer all the three questions from it. Each question carries **fifteen (15)** marks and is to be answered in about **three hundred (300)** words. **(3 × 15 = 45 marks)**

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता से **तीन (3)** प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई / विशेषज्ञता को चुनकर उसी के तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न **पन्द्रह (15)** अंकों का है व उसका उत्तर लगभग **तीन सौ (300)** शब्दों में अपेक्षित है। **(3 × 15 = 45 अंक)**

Elective – I

ऐच्छिक – I

Constitutional Law of India

भारतीय संवैधानिक कानून

3. Briefly discuss about the privileges and immunities given to the Parliament and its members.
संसद और उसके सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों के बारे में संक्षेप में विवेचना कीजिए।
4. How far the 'Fundamental Rights' and the 'Directive Principles of State Policy' are interrelated to ensure constitutional objectives.
सांविधिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये 'मौलिक अधिकार' और 'राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व' कहाँ तक अंतःसम्बन्धित हैं ?
5. Examine the Jurisdiction of the Supreme Court with special reference to 'Appellate Jurisdiction'.
अपीलीय अधिकारिता के विशेष सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परीक्षा कीजिए।

OR / अथवा

Elective – II

ऐच्छिक – II

Administrative Law

प्रशासनिक विधि

3. Explain the nature and utility of administrative discretion.
प्रशासनिक संविवेक की प्रकृति एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए ।
4. Hearing is one of the basic ingredients of principle of natural justice. Explain.
नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का मूलभूत अवयव सुनवाई है । व्याख्या करें ।
5. Write a detailed note on Lokpal.
लोकपाल पर विस्तृत टिप्पणी लिखिये ।

OR / अथवा

Elective – III

ऐच्छिक – III

Legal Theory

विधिक सिद्धान्त

3. Explain Pound's theory of law as social engineering. How far do you agree with the view that every aspect of Pound's theory is unstable and not borne out by the ground realities ?
सामाजिक अभियांत्रिकी के रूप में विधि के पाउण्ड के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए । आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि पाउण्ड के सिद्धान्त का प्रत्येक पहलू अस्थिर तथा जमीनी वास्तविकताओं से पुष्ट नहीं है ?
4. "Ownership is not a right but a bundle of rights, privileges, powers etc." Elucidate this statement.
"स्वामित्व एक अधिकार नहीं अपितु अधिकारों, विशेषाधिकारों, शक्तियों इत्यादि का एक समुच्चय है ।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।
5. While referring to relevant provisions of the Indian Constitution and case law explain the doctrine of precedent and examine its significance to the judicial process.
भारतीय संविधान के सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णयज विधि का उल्लेख करते हुए पूर्व-निर्णय के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा न्यायिक प्रक्रिया में इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिए ।

OR / अथवा

Elective – IV

ऐच्छिक – IV

Criminal Law

दण्ड विधि

3. Why necessity is a defence of criminal liability ?
आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा 'आवश्यकता' क्यों है ?
4. Discuss that abduction is not an act which is in itself an offence.
अपहरण वो कार्य नहीं है जो अपने आप में अपराध हो, विवेचना करें ।

5. Discuss the panacea against the alarming rise in harassment to the newly wedded girls subjected to dowry demand.

दहेज की माँग के अधीन नव विवाहिता लड़कियों के साथ छेड़छाड़ में खतरनाक वृद्धि के विरुद्ध अचूक दवा की विवेचना करें ।

OR / अथवा

Elective – V

ऐच्छिक – V

Environmental Law

पर्यावरणीय विधि

3. Spell out international legal measures to prevent climate change with special reference to Kyoto Protocol.

कियोटो उपसंधि के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय विधिक उपाय बताइये ।

4. Compare punitive mechanisms of Environment (Protection) Act, 1986 vis a vis punitive mechanisms of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की दंडात्मक क्रियाविधि की जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के साथ तुलना करें ।

5. What do you understand by “Environment Impact Assessment” ? How far it applies to developmental projects in India ?

“पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन” से आप क्या समझते हैं ? यह भारत में विकासात्मक परियोजनाओं में कहाँ तक लागू होता है ?

OR / अथवा

Elective – VI

ऐच्छिक – VI

Public International Law

लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि

3. Discuss whether resolutions of the “United Nations General Assembly constitute a source of International Law”.

“संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं ।” विवेचना कीजिए ।

4. What are problems underlying the jurisdiction of International Court of Justice ? Can the decisions of International Court of Justice be enforced ? Discuss.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित समस्याएँ क्या हैं ? क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू किया जा सकता है ? विवेचना कीजिए ।

5. What role is assigned to the Security Council under the Charter of the United Nations to maintain or restore international peace and security ?

अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने या दुबारा बहाल करने में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका निर्दिष्ट की गई है ?

OR / अथवा

Elective – VII

ऐच्छिक – VII

Family Law

पारिवारिक विधि

3. Critically examine the importance of 'Dower' in a Muslim Marriage. Is there any minimum or maximum limit ?
मुस्लिम विवाह में महर के महत्त्व की समीक्षा करें । क्या कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा है ?
4. Who can give the child in adoption ?
बच्चे को कौन दत्तक-ग्रहण के लिये दे सकता है ?
5. How divorce by 'mutual consent' is sought ? Can it be refused to be granted by the court if it is not to the best interest of children ?
पारस्परिक सहमति से तलाक किस प्रकार लिया जाता है ? यदि यह बच्चों के हित में नहीं है तो क्या न्यायालय द्वारा इसे स्वीकृति देने से इन्कार किया जा सकता है ?

OR / अथवा

Elective – VIII

ऐच्छिक – VIII

Human Rights

मानवाधिकार

3. Spell out the role played by General Assembly of the United Nations in the development and implementation of human rights.
मानवाधिकारों के विकास और क्रियान्वयन में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अदा की गई भूमिका का विवरण दीजिए ।
4. What are international legal measures to protect the rights of children ? Discuss mechanisms to implement rights of children at the international level.
बालाधिकारों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय क्या हैं ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालाधिकारों को क्रियान्वित करने की क्रियाविधियों की विवेचना करें ।
5. What are legal infirmities and weaknesses of the Protection of Human Rights Act, 1993 ? Suggest modifications and reforms.
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की विधिक दुर्बलताएं और कमजोरियाँ क्या हैं ? रूपान्तर और संशोधनों का सुझाव दीजिये ।

OR / अथवा

Elective – IX

ऐच्छिक – IX

Law of Torts

अपकृत्य विधि

3. 'Private nuisance in contrast to public nuisance is an act affecting some particular individual or individuals as distinguished from the public at large.' Elucidate this statement and discuss prescription as a defence in a tort action for nuisance.
लोक अवदूषण के विपरीत, प्राइवेट अवदूषण जनसामान्य से भिन्न किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला कृत्य है । इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा अवदूषण के विरुद्ध अपकृत्य की कार्यवाही के चिरभोग के बचाव की विवेचना कीजिए ।

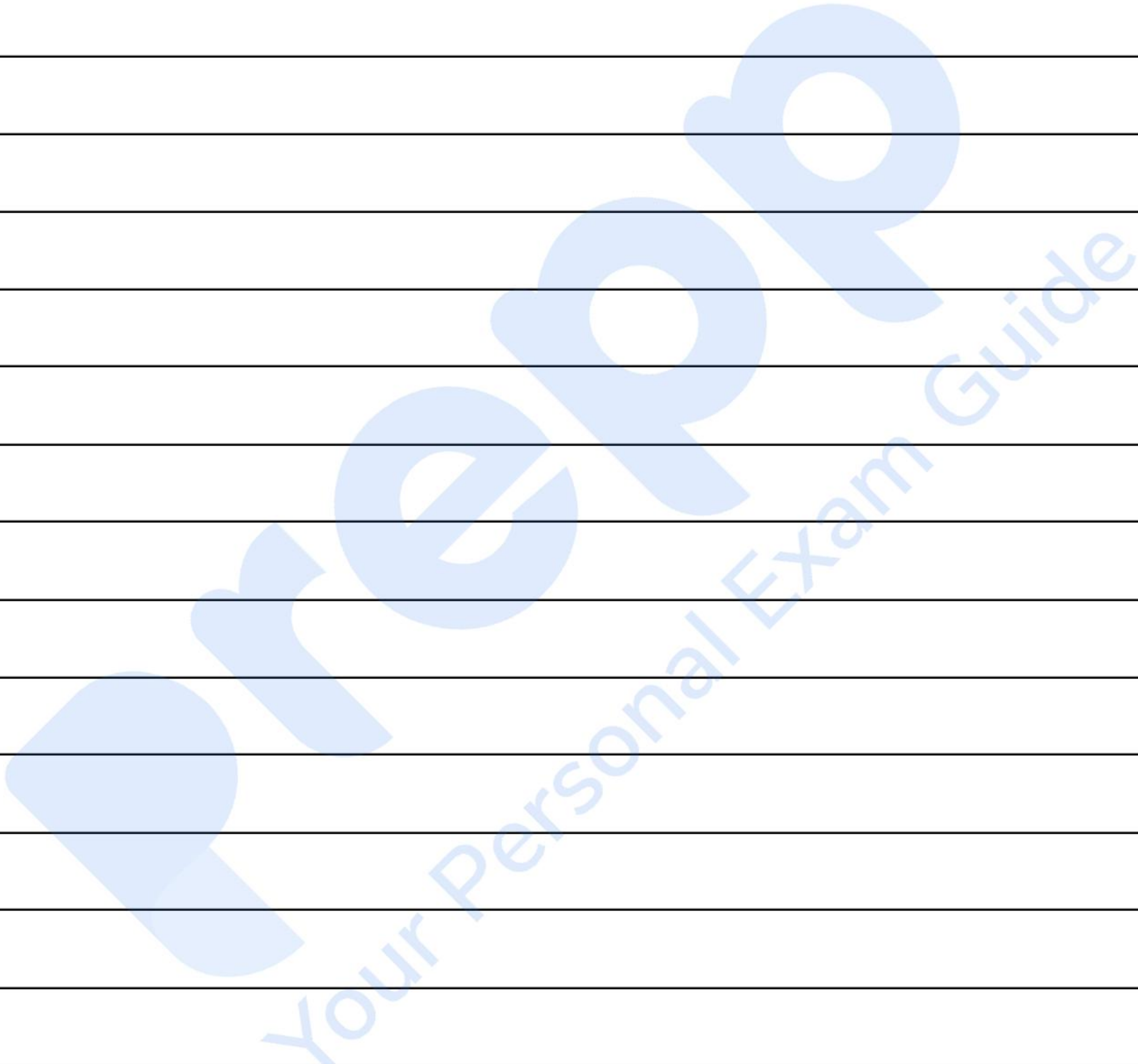
4. Compare and contrast the rule in Rylands V. Fletcher from the rule laid down in Mehta case and examine the significance of the Mehta rule.
राइलैण्ड्स बनाम फ्लेचर नियम की मेहता वाद में प्रतिपादित नियम से तुलना एवं सुभिन्नता कीजिए तथा मेहता नियम के महत्त्व का परीक्षण कीजिए ।
5. “The law of torts as administered in India in modern times is the English law as found suitable to Indian conditions and as modified by the Acts of the Indian Legislature.” Explain.
“भारत में आधुनिक समय में प्रशासित अपकृत्य-विधि भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त तथा भारतीय विधायिका द्वारा परिवर्धित आंग्लविधि है ।” व्याख्या कीजिए ।

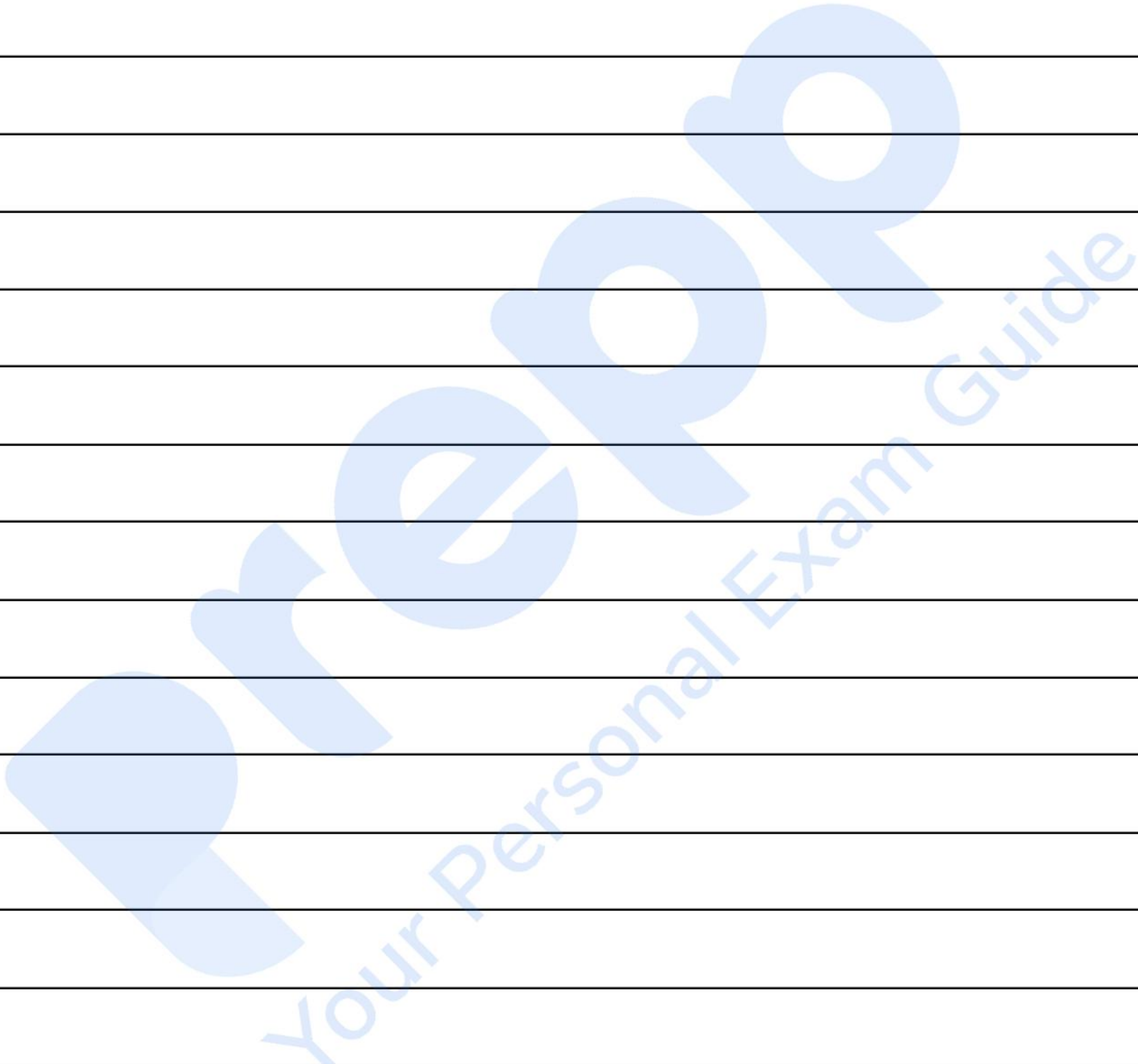
OR / अथवा

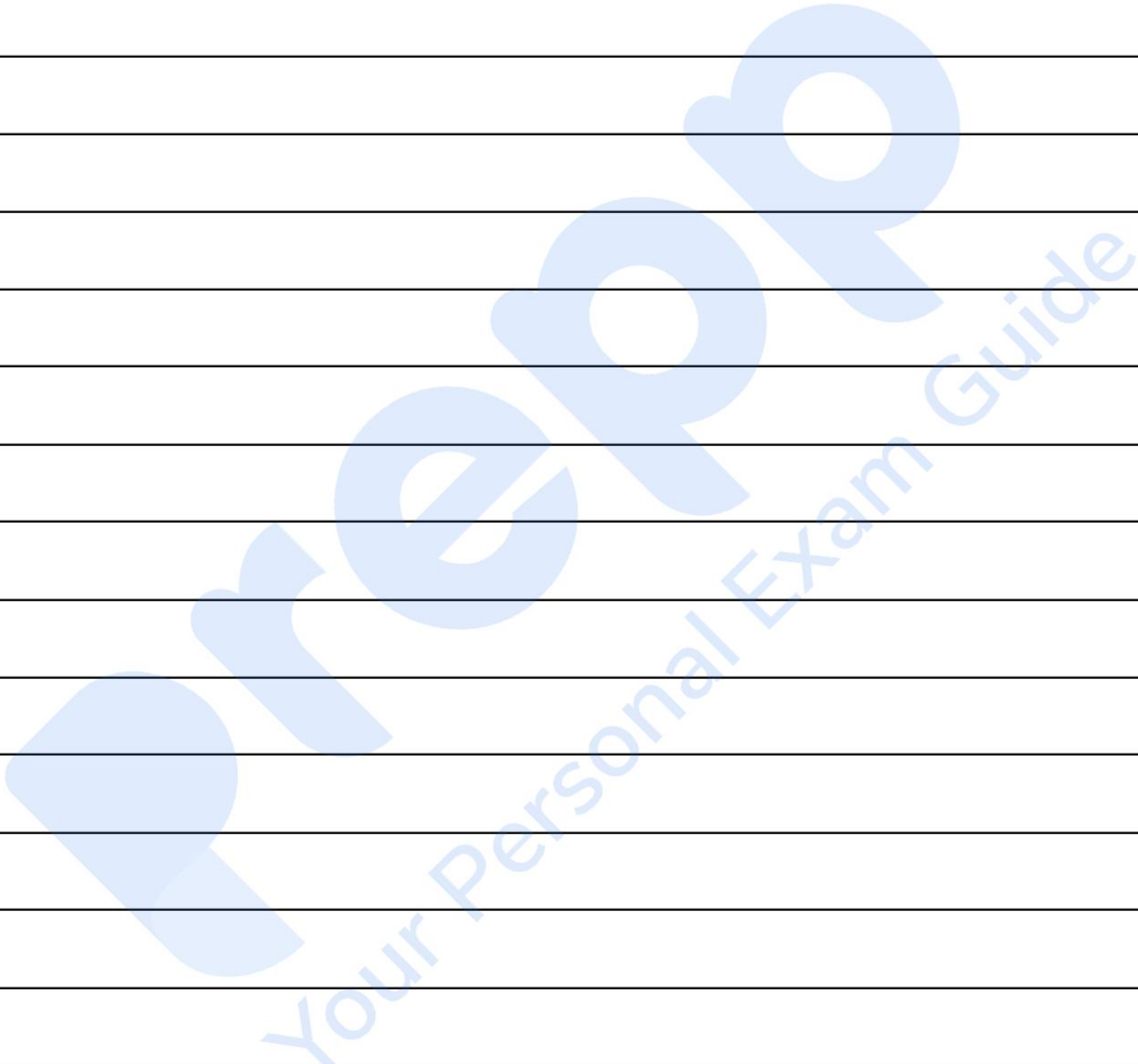
Elective – X

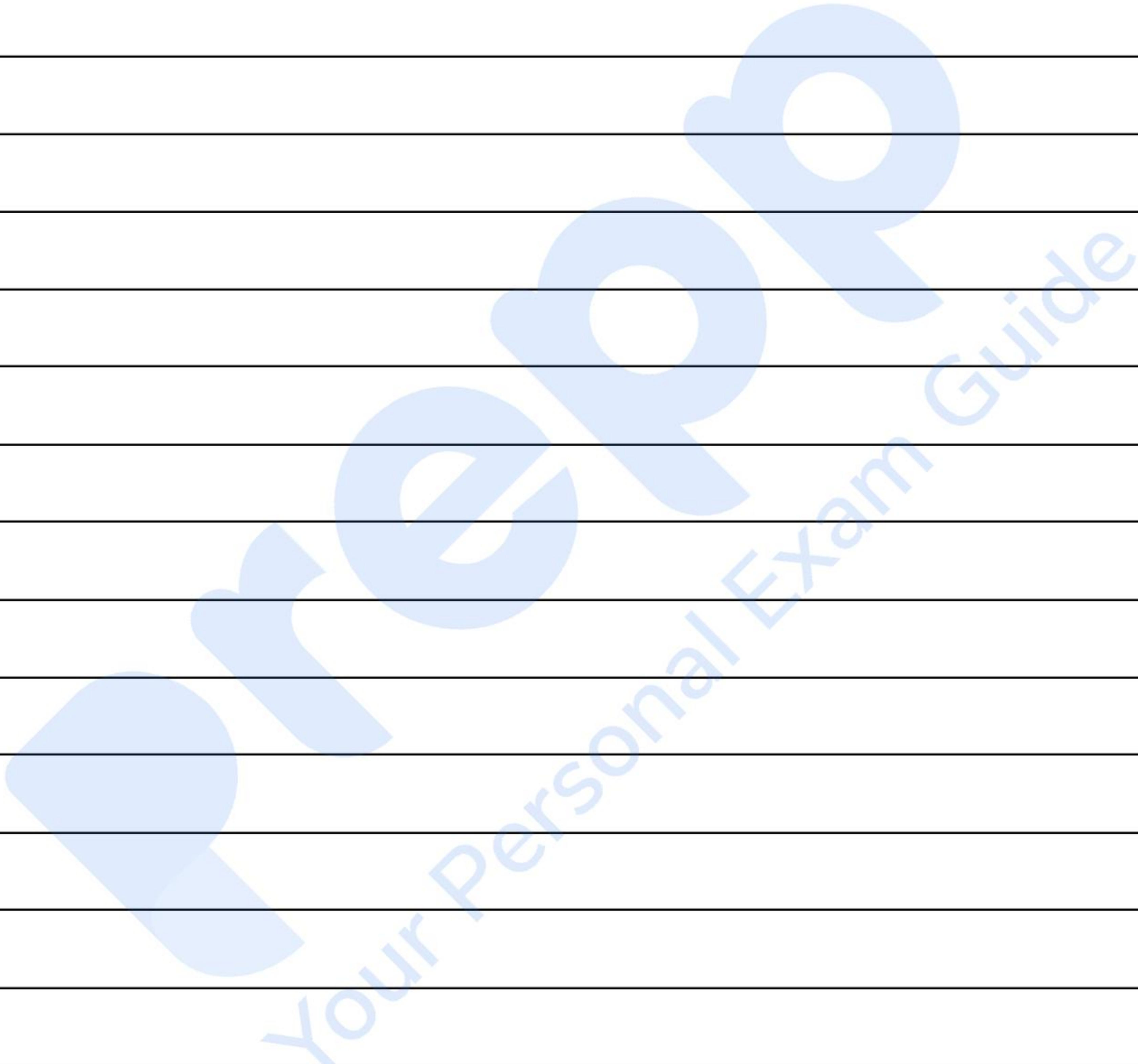
ऐच्छिक – X

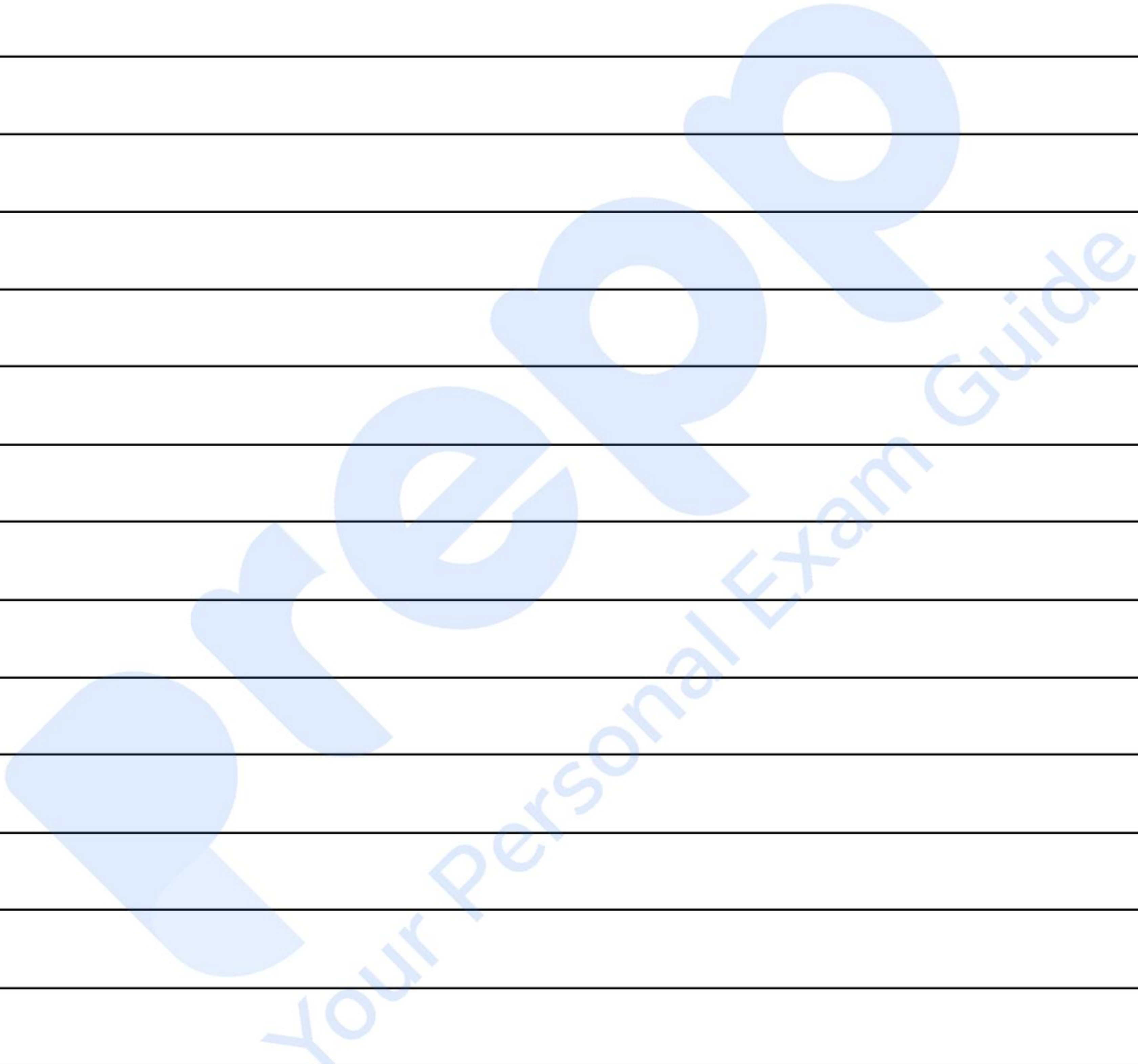
3. Buyer cannot get better title than the seller. Explain this statement with illustrations.
‘विक्रेता की तुलना में क्रेता को बेहतर उपाधि नहीं मिल सकती है ।’ इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए ।
4. Explain the doctrine of Ultra Vires with the help of decided cases.
अधिकारातीत के सिद्धान्त की व्याख्या निर्णीत वादों की सहायता से करें ।
5. What is the legal position of a director in a company ? Critically discuss in detail.
कम्पनी में निर्देशक की कानूनी अवस्थिति क्या है ? विस्तार से समीक्षा कीजिए ।

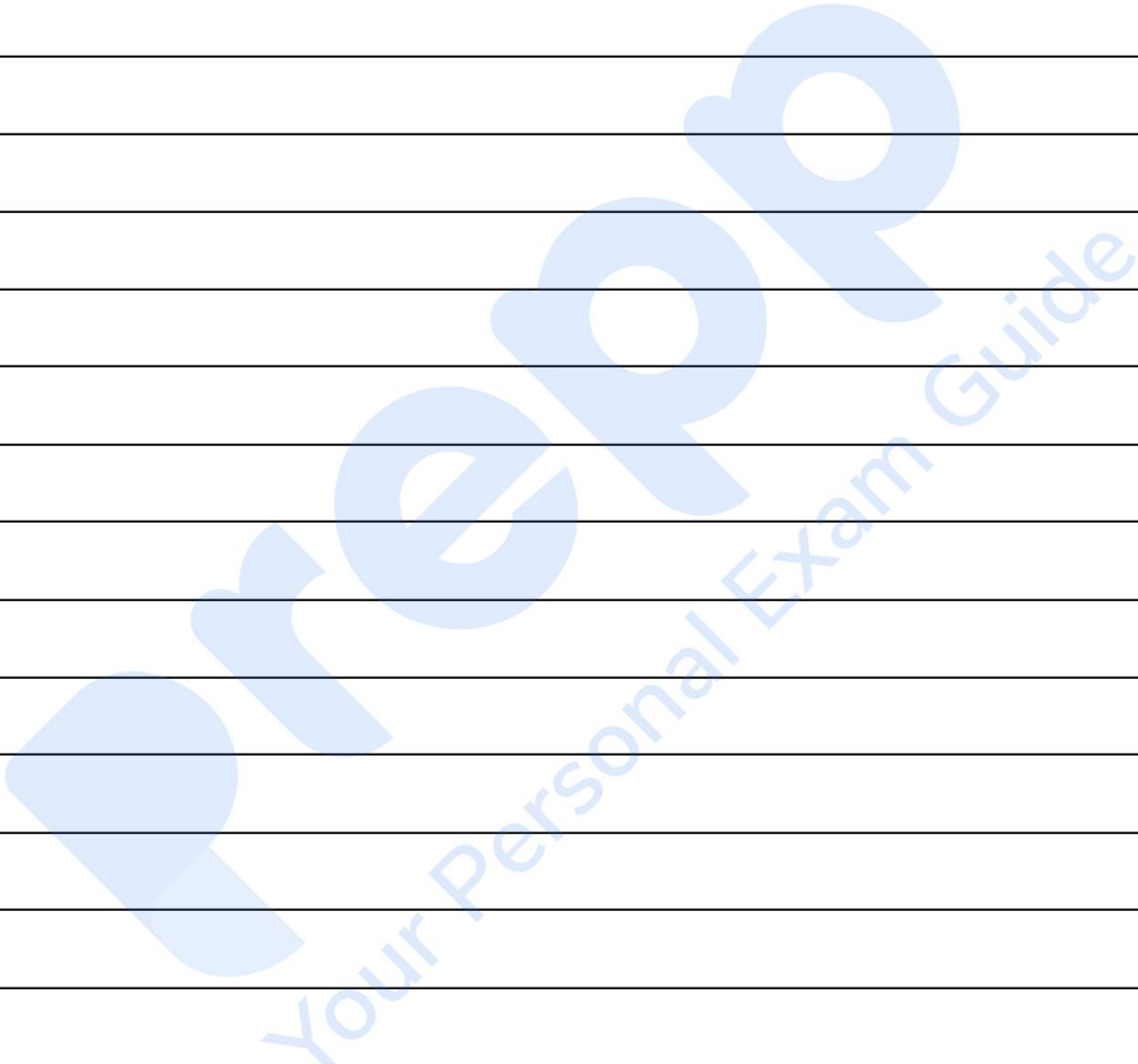


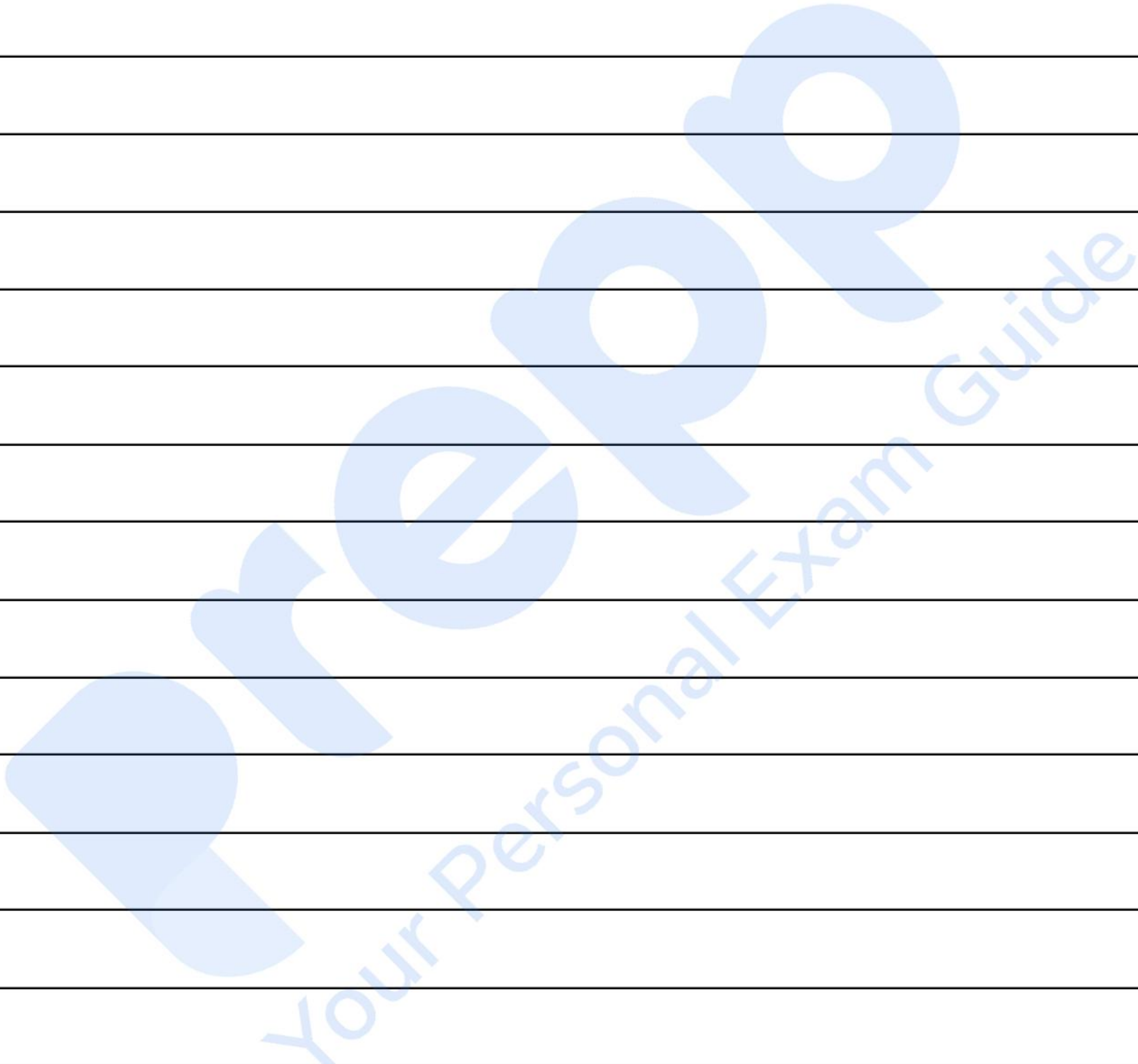












SECTION – III
खंड – III

Note : This section contains **nine (9)** questions of **ten (10)** marks, each to be answered in about **fifty (50)** words. **(9 × 10 = 90 marks)**

नोट : इस खंड में **दस-दस (10-10)** अंकों के **नौ (9)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **पचास (50)** शब्दों में अपेक्षित है । **(9 × 10 = 90 अंक)**

6. Distinguish between ‘Sale and Agreement to Sell’.
‘विक्रय और विक्रय का करार’ के बीच अन्तर बताइये ।

7. Examine the constitutional validity of ‘the Narco Analysis Test’ in the light of Right against self incrimination.
आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार के प्रकाश में नार्को परीक्षण की संवैधानिक वैधता की परीक्षा कीजिए ।

8. Explain the notion of ‘reasoned decisions’.
‘तर्कयुक्त निर्णय’ की धारणा की व्याख्या करें ।

9. Distinguish between subordinate and conditional legislation.
अधीनस्थ और सशर्त विधान के बीच अन्तर कीजिए ।

10. Explain the elements of crime.
अपराध के तत्त्वों की व्याख्या कीजिए ।

11. What is the scope of 'citizen suit provision' under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ?

जल अधिनियम (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण), 1974 के अंतर्गत 'नागरिक वाद से सम्बन्धित प्रावधान' की व्याप्ति क्या है ?

12. What is the Constitution and Powers of 'Human Rights Courts under the Protection of Human Rights Act, 1993 ?

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालयों का संगठन और शक्तियाँ क्या हैं ?

13. What are the essential requirements of a valid Muslim Marriage ? Highlight the consequences of a marriage contracted without proper witness from Shia and Sunnis view point.

वैध मुस्लिम विवाह की अनिवार्य अपेक्षाएँ क्या हैं ? शिया और सुन्नी दृष्टिकोण से उचित साक्ष्य के बिना विवाह अनुबन्ध के परिणामों का उल्लेख करें ।

14. What is the meaning and relevance of the term ‘Jus Cogens’ in International Law ?
अंतर्राष्ट्रीय विधि में ‘जस कोजेन्स’ शब्द का अर्थ और प्रासंगिकता क्या है ?

SECTION – IV

खंड – IV

This section contains **five (5)** questions of **five (5)** marks each based on the following passage. Each question should be answered in about **thirty (30)** words. **(5 × 5 = 25 marks)**

इस खंड में निम्नलिखित परिच्छेद पर आधारित **पाँच (5)** प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **तीस (30)** शब्दों में अपेक्षित है । प्रत्येक प्रश्न **पाँच (5)** अंकों का है । **(5 × 5 = 25 अंक)**

It is obvious that in a civilized society the importance of child welfare cannot be over-emphasized, because the welfare of the entire community, its growth and development, depends on the health and well-being of its children. Children are “supremely important national asset” and the future well-being of the nation depends on how its children grow and develop. The great poet Milton put it admirably when he said : “child shows the man as morning shows the day”, and the study team on social welfare said much to the same effect

when it observed that “the physical and mental health of the nation is determined largely by the manner in which it is shaped in the early stages”. The child is a soul with a being, a nature and capacities of its own, who must be helped to find them, to grow into their maturity into fullness of physical and vital energy and the utmost breath, depth and height of its emotional, intellectual and spiritual being; otherwise there cannot be a healthy growth of the nation. The child is father of the man, said Wordsworth in “My Heart Leaps Up.” Now obviously children need special protection because of their tender age and physique, mental immaturity and incapacity to look after themselves. That is why there is a growing realization in every part of the globe that children must be brought up in an atmosphere of love and affection and under the tender care and attention of parents so that they may be able to attain full emotional, intellectual and spiritual stability and maturity and acquire self-confidence and self-respect and a balanced view of life with full appreciation and realization of the role which they have to play in the nation building process. Without that the nation cannot develop and attain real prosperity because a large segment of the society would then be left out of the developmental process. The measures are designed to protect children against neglect, cruelty and exploitation and to strengthen family ties “so that full potentialities of growth of children are realized within the normal family neighbourhood and community environment.” The National Policy also lays down priority in programme formation and it gives fairly high priority to maintenance, education and training of orphan and destitute children. There is also provision in the National Policy for constitution of a National Children’s Board. It is the function of the National Children’s Board to provide a focus for planning, review and proper co-ordination of the multiplicity of services striving to meet the needs of children and to ensure at different levels continuous planning, review and co-ordination of all the essential service.

यह सुस्पष्ट है कि सभ्य समाज में बाल कल्याण के महत्त्व को वांछित से ज्यादा बल नहीं दिया जा सकता है । क्योंकि सम्पूर्ण समुदाय का कल्याण, संवृद्धि और विकास उसके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर है । बच्चे सर्वोच्चतया महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं और राष्ट्र का भावी कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बच्चे बढ़ें और विकसित हों । महान कवि मिल्टन ने इस बात को सराहनीय ढंग से पेश किया जब उसने कहा : “बच्चा व्यक्ति को दिखाता है जैसे कि सुबह दिन दिखाती है” । और सामाजिक कल्याण पर अध्ययन दल ने कुछ इसी प्रकार कहा जब उसने सप्रेक्षित किया कि “राष्ट्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य इस बात से निर्धारित होता है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में उसे किस ढंग से गढ़ा गया है” । बच्चा अपनी स्वयं की क्षमताओं, प्रकृति और अस्तित्व के साथ एक आत्मा है, इन्हें ढूँढने, अपनी परिपक्वता में विकसित होने, शारीरिक और जीवनीय ऊर्जा की पूर्णता और भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जीव की गहराई और ऊँचाई तक विकसित करने में, मदद की जानी चाहिये । नहीं तो, राष्ट्र का स्वस्थपूर्ण विकास नहीं हो सकता है । बच्चा आदमी का जनक है, यह वर्ड्सवर्थ ने “माई हार्ट लीप्स अप” में कहा है । अब, सुस्पष्टतया बच्चों को, उनकी मृदुल आयु और शारीरिक गठन, मानसिक अपरिपक्वता और अपनी देखभाल करने की अक्षमता की वजह से, विशेष संरक्षण की आवश्यकता है । इसीलिये विश्व के प्रत्येक भाग में यह बोध बढ़ रहा है कि बच्चों का लालन-पालन, प्रेम और स्नेह के वातावरण में और अभिभावकों की कोमल उपचर्या एवं देखभाल में होना चाहिए जिससे कि वे पूर्ण भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त कर सकें और आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अर्जित कर पाएँ । और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में बच्चे जो भूमिका अदा करेंगे उसका पूरा बोध और समझ विकसित कर पाएँ । इसके बिना राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता और वास्तविक समृद्धता नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि समाज का बड़ा भाग विकासात्मक प्रक्रिया से बाहर छूट जाता है । उपेक्षा, निर्दयता और शोषण के विरुद्ध बच्चों की सुरक्षा करने और पारिवारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिये उपाय किये गये हैं “ताकि सामान्य पारिवारिक प्रतिवेश और सामुदायिक वातावरण में बच्चों के विकास की पूर्ण सक्षमताएँ विकसित हो सकें ।” राष्ट्रीय नीति ने भी कार्यक्रम निर्माण में प्राथमिकता दी है एवं उसने अनाथ और निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण को काफी अधिक प्राथमिकता दी है । राष्ट्रीय नीति में राष्ट्रीय बाल परिषद के गठन का प्रावधान भी है । यह राष्ट्रीय बाल परिषद का कार्य है कि बच्चों की आवश्यकताएँ पूरा करने वाली विविध सेवाओं के नियोजन, पुनरीक्षण और उचित समन्वय को केन्द्रीयता प्रदान करे और भिन्न स्तरों पर समस्त अनिवार्य सेवाओं का सतत नियोजन, पुनरीक्षण और समन्वय सुनिश्चित करे ।

15. Why children are called ‘supremely important National asset’ ?
बच्चों को अतिमहत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्पत्ति क्यों कहा जाता है ?

16. How the nation can be shaped for better future ?
राष्ट्र को बेहतर भविष्य के लिये किस प्रकार गढ़ा जा सकता है ?

17. Why children need special protection ?
बच्चों को विशेष संरक्षण की क्यों आवश्यकता है ?

18. Why children are required to be brought up, under the care and attention of parents ?
अभिभावकों की देखभाल एवं देखरेख में बच्चों के लालन-पालन की क्यों जरूरत है ?

19. What priorities are laid down under ‘The National Policy for Children’ ?
बच्चों के लिये राष्ट्रीय योजना में दी गई प्राथमिकताएँ क्या हैं ?

FOR OFFICE USE ONLY	
Marks Obtained	
Question Number	Marks Obtained
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

Total Marks Obtained (in words)
(in figures)
Signature & Name of the Coordinator
(Evaluation) Date